

12/10/2020

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता
प्राप्ति उपस्थित है विपक्षी
अधिवक्ता उपस्थित नहीं
है। अवाक हेतु अनेक अवसर
य Cost पर अवसर देने
के उपरान्त भी अवाक पेशी
नहीं किया गया। अतः अवाक
विपक्षी संस्था ② संबंध-
किया जाता है अन्तरिम
अस्पार्ड निषेधाज्ञा आगामी
तारीख पेशी दिनांक 16.12.2020
तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली
दिनांक 16.12.2020 को पेश है।

16/12/2020

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता
प्राप्ति की जोर से अधिवक्ता
की समुह सिंह ब्रीक पर उपस्थित
है अधिवक्ता पक्ष की वकालत
शुनी गई। पत्रावली वास्तु आदेश
24.12.2020 को पेश है। अन्तरिम
अस्पार्ड निषेधाज्ञा आगामी पेशी
दिनांक तक बढ़ाई जाती है।

24/12/2020

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पक्ष
उपस्थित ही वकालत पर सतत किया
व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह है कि
वपक्षी प्रति से संबंधित स्पार्ड
निषेधाज्ञा के घोषण का काद
विषयवस्तु है। जिसके निस्तारण में
समय लगेगा। वाद की वदुलत में
वैधे इस हेतु अस्पार्ड निषेधाज्ञा
मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म
की जमा न्यायोचित प्रतीति होती है। अतः
दिनांक 9.2.2018 को जारी अस्पार्ड
निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण
तक कन्फर्म की जाती है। पत्रावली
केवल शुभ हो सत ताबत से कर
है। निर्णय मुझे न्यायालय में सुनाया
गया।



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द